भारत स्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश

-: कल्याण कोष नियमावली :-

प्रादेशिक मुख्यालय : गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ

E mail :upscoutsguides@yahoo.com

Contact No. 0522-4323838

Website : www.bsgup.org

फोन : 0522-4323838
9839392275

भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०

प्रादेशिक प्रधान कार्यालय : स्काउट भवन, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ – 226006
E-mail : upscoutsguides@yahoo.com, Website : www.bsgup.org
रजिस्ट्रेशन संख्या एस० 1-9407/1959-1960

मुख्य संरक्षक
माननीय श्री राज्यपाल
उ० प्र०

उप मुख्य संरक्षक
माननीय मुख्यमंत्री
उ० प्र०

अध्यक्ष
डा०महेन्द्र सिंह
पूर्व मन्त्री "जल शक्ति"
उ० प्र०

मुख्यायुक्त
डा० प्रभात कुमार
आई०ए०एस०(से०नि०)
पूर्व अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०

पत्रांक संख्या – CG 91/924 / 2023-24 दिनांक 21.08.2023

सेवा में,

समस्त जिला मुख्यायुक्त
भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0।

महोदय,

मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 द्वारा उ0प्र0 के स्काउट और गाइड से जुडे सदस्यों के कल्याणार्थ'' उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड (कल्याण कोष)'' का गठन किया गया है, ताकि विभिन्न दुर्घटनाओं/असामयिक परिस्थितियों में भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 से जुडे सदस्यों की सहायता की जा सके।

2. उक्त कोष की संक्षिप्त नियमावली इस अनुरोध के साथ प्रेषित कर रहा हूँ कि कृपया इससे सभी को अवगत करा दें तथा इसका समुचित प्रचार प्रसार भी कर दें। साथ ही साथ उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड(कल्याण कोष) में जिले से सहयोग करने के लिए भी विचार करने का कष्ट करें।

3 उल्लेखनीय है कि भारत स्काउट और गाइड उ0प्र0 द्वारा इस कोष में रू0 5 लाख प्रतिवर्ष का योगदान दिए जाने का निर्णय लिया गया है। कोष के खाते का विवरण इस प्रकार है :–'

(1) NAME - UTTAR PRADESH BHARAT SCOUTS GUIDES
(2) ACCT.NO - 2588101000418
(3) BANK - CANARA BANK
(4) BRANCH - MAHANAGAR, LUCKNOW
(5) IFSC CODE - CNRB0002588

4 उक्त के अतिरिक्त यह भी अनुरोध है कि संलग्न नियमावली के अंतर्गत यदि कोई सदस्य सहायता के लिए पात्र है तो उसके प्रार्थना पत्र को संलग्नानुसार अग्रसारित करें।

संलग्नक :–
1–नियमावली
2–आवेदन पत्र

(डा0 प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त

उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड कल्याण कोष

1–कोष का नाम – उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड से जुडे व्यक्तियों के कल्याण के लिए कोष का नाम ''उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड (कल्याण कोष)'' होगा ।

2–कोष के उद्देश्य :– उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड कल्याण कोष का उददेश्य निम्नलिखित परिस्थितियो में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना होगा –

1–स्काउटिंग/गाइडिंग गतिविधियों के दौरान हुई दुर्घटनाओं से मृत्यु अथवा गम्भीर शारीरिक क्षति।

2–दैवीय आपदा/आकस्मिक दुर्घटना से उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड संस्था से जुडे व्यक्तियों/सदस्यों की मृत्यु अथवा गम्भीर शारीरिक क्षति की दशा में।

3–विशेष परिस्थितियों में अवैतनिक सक्रिय निर्धन सदस्यों के बच्चो की उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता ।

4–आकस्मिक दैवीय आपदा, प्रधानमंत्री /मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु।

5–अन्य किसी विशेष मानवीय प्रयोजन हेतु।

3– उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु आवश्यक पात्रता :–

1– प्रदेश संस्था के सभी वैतनिक अधिकारी/कर्मचारी, वारण्टेंड अधिकारी तथा अन्य पदाधिकारीगण।

2– जिला संस्थाओ के समस्त वैतनिक अधिकारी/कर्मचारी, वारण्टेड अधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी/कर्मचारी।

3– उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड संस्था के सभी कब/बुलबुल/स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर दलों के सदस्य जिनका विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज हो एंव उनकी यू0आई0डी0 निर्गत हो चुकी हो।

4– दैवीय आपदाओं में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री सहायता कोष में योगदान।

4– कोष के वित्तीय स्रोत–

''उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड कल्याण कोष'' में निम्नलिखित स्रोतो से धनराशि संकलित/एकत्रित की जायेगी :–

1– प्रादेशिक संस्था, उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड द्वारा समय समय पर प्रतिवर्ष दी जाने वाली धनराशि।

2– उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड की जिला संस्थाओं द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला योगदान।

3– राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान।

4– विभिन्न प्रशिक्षार्थियों से इस हेतु ली जाने वाली धनराशि।

5– दानदाता संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा दिया गया योगदान।

...2/–

5– कोष का संचालन तथा वित्तीय स्वीकृति :– उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड कल्याण कोष के संचालन तथा इससे दिए जाने वाली वित्तीय सहायता की स्वीकृति निम्नांकित समिति की संस्तुति के पश्चात प्रादेशिक मुख्यायुक्त के अनुमोदन से दी जायेगी :–

1– प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट) अथवा प्रादेशिक आयुक्त (गाइड)
2– प्रादेशिक कोषाध्यक्ष
3– प्रादेशिक सचिव समन्वयक

उक्त समिति स्वतः अथवा आवेदन करने के उपरांत संबंधित व्यक्ति को सहायता देने के अभिलेखों की जाच कर मूल्यांकन करेगी एंव समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर अपनी संस्तुति प्रादेशिक मुख्यायुक्त को प्रस्तुत करेगी। समय समय पर समिति की संरचना एंव समिति में परिवर्तन का पूर्ण अधिकार प्रादेशिक मुख्यायुक्त में निहित होगा।

6– कोष हेतु बैंक खाता :– कोष से प्राप्त धनराशि को एक पृथक खाते में किसी शेड्यूल बैंक में संचालित किया जायेगा। जिसका संचालन प्रादेशिक कोषाध्यक्ष तथा प्रादेशिक सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से नियमानुसार स्वीकृति के सापेक्ष किया जायेगा।

7– नियमावली में परिवर्तनः– नियमावली में किसी भी नियम में परिवर्तन करने का अधिकार प्रादेशिक मुख्यायुक्त में निहित होगा।

8– प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कल्याण कोष के आय व्यय का विस्तृत विवरण प्रादेषिक कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

(डा0 प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त

भारत स्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश

प्रादेशिक मुख्यालय : महानगर लखनऊ

: कल्याण कोष :

सहायता हेतु आवेदन

फोटो

प्रार्थी का व्यक्तिगत विवरण :-

1. नाम : ....
2. पिता का नाम : ....
3. पता : ....
   ....पिन कोड ....
4. सदस्यता का प्रकार : ....संस्था में पद : .... (प्रमाण संलग्न करें)
5. BSG UID : ....
6. मोबाईल नम्बर : ....
7. ईमेल आई०डी० : ....
8. आधार नम्बर : .... (छायाप्रति संलग्न करें)
9. प्रार्थी की सभी स्रोतों से वार्षिक आय .... (ITR/आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)

सहायता का विवरण :-

1. सहायता हेतु अहर्ता का प्रकार : ....
2. बीमारी/दुर्घटना का विवरण : ....
3. मांग की गई सहायता की धनराशि : ....
   (सक्षम संस्था यथा अस्पताल द्वारा दिए गये एस्टीमेट की प्रति संलग्न करें)

प्रार्थी / अस्पताल के बैंक खाते का विवरण जिसमे सहायता राशि प्रेषित की जानी है :-

1. खाता धारक का नाम :..
2. खाता संख्या : .... खाते का प्रकार ....
3. बैंक व शाखा का नाम : ....
4. IFSC कोड : ....

मै घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त मेरे द्वारा दिया गया विवरण सत्य है |

दिनांक : प्रार्थी के हस्ताक्षर

========================जांच विवरण / संस्तुति ==========================

उपरोक्त समस्त विवरण की जांच मेरे द्वारा की गई जो सत्य/असत्य है | श्री/श्रीमती/सुश्री .... को धनराशि .... प्रदान करने हेतु संस्तुति की जाती है |

दिनांक : जाँच संस्तुतिकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद

==============================स्वीकृति==============================

श्री/श्रीमती/सुश्री ....को धनराशि ....की स्वीकृत/अस्वीकृत की जाती है |

दिनांक : प्रादेशिक मुख्यायुक्त

भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०